भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3226

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डिब्बाबंद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक

3226. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसे हालिया अध्ययनों की जानकारी है जो प्लास्टिक पैकेजिंग से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों और पेयों में माइक्रोप्लास्टिक मिले होने के कारण बढ़ते संदूषण को उजागर करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाद्य सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा डिब्बाबंद खाद्य उत्पादों के माध्यम से मनुष्यों में माइक्रोप्लास्टिक के दुष्प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण या जोखिम मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक तत्वों के स्तर के लिए सुरक्षा संबंधी सीमाएं या मानकीकृत परीक्षण मानक स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जनस्वास्थ्य के सुरक्षोपाय के लिए सुरक्षित, जैव-अवक्रमणीय पैकेजिंग विकल्पों को बढ़ावा देने हेतु क्या ठोस नियामक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की साझा जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की होती है।

एफएसएसएआई ने सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सीआईएफटी), कोच्चि और बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बीआईटीएस), पिलानी द्वारा संचालित "माइक्रो-और नैनो-प्लास्टिक उभरते खाद्य दूषित पदार्थ के रूप में: मान्य कार्यप्रणालियाँ स्थापित करना और विभिन्न खाद्य मैट्रिसेज में उनकी व्याप्तता को समझना" नामक परियोजना को वित्त पोषित किया है। परियोजना के उद्देश्य हैं:-

i. खाद्य मैट्रिसेज में माइक्रो/नैनो-प्लास्टिक की पहचान और मात्रानिर्धारण के लिए विश्लेषणात्मक विधियों को तैयार करना और अधिप्रमाणन।
ii. अभिनिर्धारित खाद्य मैट्रिसेज में विकसित की गई विधियों की अंतर-प्रयोगशाला और अंतःप्रयोगशाला तुलना।
iii. अभिनिर्धारित खाद्य मैट्रिसेज में माइक्रो/नैनो-प्लास्टिक के एक्सपोज़र स्तर की निगरानी और निर्धारण।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 को भी अधिसूचित किया है, जिसमें खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग के लिए अपेक्षाओं का निर्धारण किया गया है। यह अनिवार्य करता है कि पैकेजिंग, तैयारी, भंडारण, रैपिंग, परिवहन तथा खाद्य की बिक्री या सेवा में सीधे संपर्क में आने वाली या आने की संभावना वाली कोई भी सामग्री खाद्य-ग्रेड गुणवत्ता की हो। यह खाद्य उत्पादों के संपर्क में आने के लिए आशयित प्लास्टिक सामग्री के लिए मानक भी निर्धारित करता है, जिसमें संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विनिर्देशों को संदर्भित किया गया है। ये मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष हैं, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रथाओं के साथ सुसंगति सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, यह निर्दिष्ट करता है कि प्लास्टिक से बनी सभी पैकेजिंग सामग्रियों को आईएस 9845 के अनुसार निर्धारित माइग्रेशन सीमा 60 मिलीग्राम/किग्रा या 10 मिलीग्राम/वर्ग डेसीमीटर पर खरा उतरना चाहिए एवं दृश्यरंग का माइग्रेशन न हो।

खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक को उन पैकेजिंग सामग्रियों के लिए, जो खाद्य पदार्थ के प्रत्यक्ष संपर्क में आती हैं या जिन परतों के खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने की संभावना है, इन विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा जारी अनुरूपता प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
